राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाहन, जिला सिरमौर, (हिमाचल प्रदेश) के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 4/12 से 3/14

भाग–एक

1 **गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–**

महाविद्यालय के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन (अवधि 4/76 से 3/2012) तक शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट (i)** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर महाविद्यालय द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः महाविद्यालय इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक पैरा का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षणः–**

महाविद्यालय के वर्तमान छात्र निधि लेखों (4/2012 से 3/2014) का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है श्री विरेन्द्र कुमार (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनाँक 19.8.2014 से 5.9.2014 के दौरान नाहन में किया गया। आय पक्ष के लिए माह 6/12, 6/13 तथा व्यय पक्ष के लिए माह 9/2012 व 10/13 के लेखों का चयन विस्तृत जाँच हेतु किया गया।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं करवाई गई है, के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय में निम्न विवरणानुसार प्रधानाचार्यों ने आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया।

क्र0सं0	प्रधानाचार्य का नाम	कार्य की अवधि
1	श्री निर्मल कुमार थामी	1.4.12 से 31.10.12
2	श्री कर्णवीर सिंह (कार्यवाहक)	1.11.12 से 31.1.13
3	श्रीमती दीक्षा मल्होत्रा	1.2.13 से 31.3.14

3 अंकेक्षण शुल्कः–

महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों (4/12 से 3/13) का अंकेक्षण शुल्क ₹14000/– बनता है, जिसे प्रधानाचार्य द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 372448 दिनाँक 3.9.14 के तहत भेज दिया है।

4 वितीय स्थितिः–

महाविद्यालय की विभिन्न निधियों की वित्तीय स्थिति का विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "क"** में दिया गया है।

5 निवेशः–

महाविद्यालय के निधि लेखों में से अंकेक्षण अवधि के दौरान कुल ₹3599936/– का निवेश सावधि जमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न निधियों में से किया गया है। निवेश की गई राशियों का विस्तारपूर्वक ब्यौरा **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है।

6 सावधि जमा के अन्तर्गत निवेशित राशियों को सम्बन्धित निधियों की रोकड़बहियों पर दर्ज न करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि विभिन्न निधियों के खातों से दिनाँक 31.3.2014 को निवेशित राशियाँ सावधि जमा रजिस्टर पर तो दर्ज की गई है परन्तु इन राशियों को सम्बन्धित निधियों की रोकड़ बहियों में प्रविष्टि नहीं किया गया जबकि इन राशियों को रोकड़ बही में अन्तशेष के साथ दिखाया जाना अपेक्षित था जिसके अभाव में महाविद्यालय के निधि लेखों की वित्तीय स्थिति रोकड़ बही में सही परिलक्षित नहीं करती जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी स्त्तर पर इनका दुरूपयोग की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है। अतः नियमानुसार सावधि जमा के अन्तर्गत निवेशित राशियों को रोकड़ बहियों पर दर्ज न करने का कारण स्पष्ट किया जाये तथा शीघ्र इनको सम्बन्धित रोकड़बहियों में माह के प्रारम्भ में आरम्भिक शेष के साथ जोड़कर प्रत्येक माह के अन्तशेष में अलग से दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि निधि लेखों के आंकड़ों की रोकड़ बही में सही स्थिति परिलक्षित हो सके।

7 प्रवेश शुल्क, शिक्षा शुल्क तथा अन्य राजकीय प्राप्तियों के रूप में प्राप्त ₹3090/– को राजकीय कोष में जमा न करवानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न छात्रो से प्रवेश, शिक्षा तथा अन्य शुल्को के रूप में प्राप्त राशि ₹3090/– को राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया है।

क्र0सं0	प्राप्ति की तिथि	फीस प्राप्ति रजिस्टर पृ0सं0	राशि
1	7.8.12	286	425
2	17.8.12	287	50
3	5.9.12	289	190
4	24.12.13	339	2425
			3090

उपरोक्त जमा नहीं करवाई गई राशि ₹3090/– को अंकेक्षण अवधि के दौरान उचित स्त्रोत से प्राप्त करके चालान संख्या 36 दिनाँक 25.8.2014 द्वारा राजकीय कोष में जमा करवा दिया गया है तथा जमा की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि पर रोक लगाई जाए।

8 (क) मिश्रित निधि खाते में से बिजली, पानी, टेलीफोन के बिलों तथा डाक टिकटों के क्रय हेतु किया गया ₹192110/– का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान मिश्रित निधि से निम्नविवरणानुसार ₹192110/– का भुगतान बिजली पानी तथा टेलीफोन के बिलों एवं डाक टिकटों के क्रय हेतु किया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1972 की धारा 42.2 के अनुसार किये गये भुगतान इस निधि के खाते पर वैध प्रभार नहीं है। अतः अनियमित रूप से किये गये इस भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए इन भुगतानों की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके वापिस मिश्रित खाते में जमा करवाई जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	माह/वर्ष	विवरण	राशि (₹)
1	4/2012	बिजली बिल	16725

2	6/2012	टेलीफोन बिल	7924
3	7/2012	डाक टिकटों का क्रय	1560
4	8/2012	बिजली के बिल	10280
5	8/2012	टेलीफोन के बिल	2677
6	9/2012	डाक टिकटों का क्रय	2000
7	9/2012	टेलीफोन के बिल	1631
8	10/2012	बिजली के बिल	5576
9	10/2012	टेलीफोन के बिल	1062
10	11/2012	बिजली के बिल तथा पानी के बिल	10283
11	12/2012	डाक टिकटों का क्रय	2000
12	12/2012	बिजली के बिल	10985
13	12/2012	टेलीफोन का बिल	3521
14	1/2013	बिजली बिल	8732
15	2/2013	डाक टिकटों का क्रय	2000
16	2/2013	टेलीफोन बिल	3726
17	6/2013	टेलीफोन बिल	3751
18	7/2013	बिजली के बिल	51201
19	7/2013	डाक टिकटों का क्रय	2000
20	8/2013	बिजली के बिल	8752
21	8/2013	पानी के बिल	22074
22	9/2013	बिजली के बिल	9303
23	9/2013	टेलीफोन बिल	607
24	10/2013	टेलीफोन बिल	1740
25	1/2014	डाक टिकटों का क्रय	2000
		कुल योग	**192110**

(ख) लेखन सामग्री के क्रय हेतु मिश्रित निधि से ₹2229/– का अनियमित भुगतानः–

जाँच के दौरान पाया गया कि ₹2229/–का भुगतान मैसर्ज लकी जनरल स्टोर नाहन को बिल संख्या शून्य दिनाँक 10.9.2012 द्वारा कार्यालय प्रयोग हेतु लेखन सामग्री की आपूर्ति

हेतु किया गया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1972 की धारा 42.2 के अनुसार यह व्यय कार्यालय कन्टीजैन्सी से किया जाना अपेक्षित था जबकि अनियमित रूप से इसका भुगतान मिश्रित निधि खाते से कर दिया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अनियमित तरीके से किए गये व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए अन्यथा ₹2229/– की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके वापिस खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ग) श्री नरेश कुमार शास्त्री (प्रवक्ता संस्कृत) को वेतन के रूप में ₹2900/– का अधिक भुगतानः–

जाँच के दौरान पाया गया कि माह 10/2013 में श्री नरेश कुमार शास्त्री को वेतन बिल के अनुसार निम्न विवरणानुसार (Period Basis) पर वेतन का भुगतान किया जाना अपेक्षित था

वेतन माह 8/13	390
वेतन माह 9/13	10000
वेतन माह 10/13	4800
कुल योग	**15190**

₹15190/– का भुगतान उक्त कर्मचारी को चैक संख्या 69381 द्वारा किया गया। परन्तु रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 77 (भुगतान पक्ष) में ₹15190/– के स्थान पर ₹18090/– का भुगतान किया गया दर्शाया गया है इस प्रकार से रोकड़बही के अनुसार ₹18090–15190=₹2900) का अधिक/अनुचित भुगतान रोकड़बही के अनुसार किया गया दर्शाया गया है। अतः जाँच उपरान्त वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाये तथा किसी प्रकार के अधिक भुगतान की स्थिति में वसूली उचित माध्यम से की जाये।

(घ) बिना औपचारिकता पूर्ण किये जलपान पर ₹5400/– का अनियमित व्ययः–

₹5400/– का भुगतान मैसर्ज शाही मिष्ठान भण्डार, नाहन (हिमाचल प्रदेश) को बिल संख्या 500 दिनाँक 14.9.2012 द्वारा 216 छात्रों के जलपान हेतु (₹25 प्रति) किया गया। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम की धारा 97 के तहत खरीद से पूर्व औपचारिकता पूर्ण नहीं की

गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अनियमित तरीके से किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित किया जाए।

मिश्रित निधि

9 **(क) चिकित्सा अधिकारी के परामर्श के बिना दवाईयों इत्यादि की खरीद करनाः–**

₹1000/– का भुगतान अग्रिम राशि के रूप में कु0 भारती (शारीरिक शिक्षिका) को दवाईयों इत्यादि की खरीद हेतु किया गया।

उपरोक्त अग्रिम राशि से सम्बन्धित समायोजन वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि ₹944/– का भुगतान मैसर्ज ओम मेडिकोज, नाहन को बिल संख्या 3608 व 3657 दिनाँक 6.9.12 व 11.9.12 द्वारा दवाईयों इत्यादि की आपूर्ति हेतु किया गया। इन दवाईयों के खरीदने हेतु चिकित्सा अधिकारी का परामर्श नहीं लिया गया। नियमों के अनुसार दवाईयों की खरीद चिकित्सा अधिकारी के परामर्श उपरान्त की जानी अपेक्षित थी। नियमों की अवहेलना करके दवाईयाँ सीधे तौर पर मेडिकल स्टोर से क्रय करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की दवाई का क्रय चिकित्सा अधिकारी के परामर्श के पश्चात ही किया जाये ताकि सही किस्म की दवाईयों की खरीद सम्भव हो सके।

(ख) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये बिना अग्रिम राशियों का समायोजन करने बारेः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार अग्रिम राशियाँ विभिन्न प्रवक्ताओं/कर्मचारियों को खेलकूद प्रतियोगिताओं के संचालन हेतु प्रदान की गई। इन राशियों का भुगतान माह 9/2012 में किया गया।

क्र0सं0	जिसे अग्रिम राशि प्रदान की गई	जिस उद्देश्य हेतु राशि दी गई	राशि (₹)
1	कु0 भारती (Astt Pro.)	फुटबाल टीम के ट्रायल हेतु	6000
2	कु0 भारती (Astt Pro.)	दवाईयों के क्रय हेतु	1000
3	श्रीमती अन्जु अग्रवाल (Astt Pro.)	ग्रुप फैस्टिवल हेतु	10000
4	कु0 भारती (Astt Pro.)	बैडमिन्टन चैम्पियनशिप हेतु	15000
5	श्रीमती अन्जु अग्रवाल	S.C.A. वैजिज के क्रय हेतु	3500

6	कु0 भारती	कबडडी प्रतियोगिता हेतु	13000
7	श्रीमती अन्जु अग्रवाल	कबडडी प्रतियोगिता हेतु	15000

उपरोक्त वर्णित अग्रिम राशियों से सम्बन्धित समायोजन वाऊचरों की ज़ाँच करने पर पाया गया कि इनसे सम्बन्धित समायोजन वाऊचरों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा समायोजन हेतु पारित किये बगैर ही इन अग्रिम राशियों का समायोजन कर दिया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः बिना आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा समायोजन वाऊचरों को पारित किये अग्रिम राशियों को अनियमित रूप से समायोजित करने का कारण स्पष्ट किया जाये तथा सभी समायोजन वाऊचरों की आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापित करवाया जाए तथा वाँछित अभिलेख आगामी लेखा परीक्षा में आवश्यक सत्यापन हेतु प्रस्ततु किया जाए ताकि व्यय के सत्यता की पुष्टि की जा सके।

<u>विज्ञान निधि</u>

10 बिना समिति गठित किये ₹25688/– के सामान की खरीद बारेः–

₹25688/– का भुगतान मै0 दि कैलाश जिला सहकारी एवं मार्केटिंग फैडरेशन लि0 शिमला को बिल संख्या 3507 दिनाँक शून्य की एवज में भौतिकी विभाग से सम्बन्धित सामान की आपूर्ति हेतु किया गया। इस राशि का भुगतान महाविद्यालय द्वारा चैक संख्या 1909938 दिनाँक 12.9.2012 द्वारा किया गया। जाँच के दौरान पाया गया कि उपरोक्त वर्णित बिल द्वारा क्रय किये गये ₹25688/– के सामान क्रय करने से पूर्व किसी समिति का गठन नहीं किया गया जिसके अभाव में खरीदे गये सामान की यात्रा व गुणवता की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी सामान खरीदेने से पूर्ण समिति का गठन न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

<u>स्काऊट एवं गाईड निधि</u>

11 ₹1365/– का अनियमित भुगतानः–

₹1365/– का भुगतान मैसर्ज राकेश शर्मा एवं ब्रदर्ज नाहन को बिल संख्या 254 दिनाँक 1.9.2012 द्वारा मैटिंग इत्यादि करवाने हेतु स्काऊट एवं गाईड निधि से किया गया। उपरोक्त किया गया व्यय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1972 की धारा 42 के अनुसार इस निधि के खाते पर वैध प्रभार नहीं है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अतः इस

अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये अन्यथा ₹1365/– की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके वापिस खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

होस्टल निधि

12 ₹7755/– का अनियमित भुगतानः–

जाँच के दौरान पाया गया कि ₹7755/– का भुगतान होस्टल के बिजली के बिल के रूप में बिल संख्या 11321 मीटर संख्या 1000070 हेतु माह 9/12 में किया गया है। नियमों के अनुसार यह व्यय इस निधि के खाते पर वैध प्रभार नहीं है। इस राशि का भुगतान कार्यालय कन्टीजैन्सी से किया जाना अपेक्षित था। अतः नियमों के विपरीत किये गये इस भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इसे नियमित करवाया जाये अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली उचित माध्यम से करके वापिस खाते में जमा करवाकर अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाये।

पुस्तकालय प्रतिभूति निधि

13 (i) पहचान पत्र इत्यादि की आपूर्ति हेतु ₹2000/– का अनियमित भुगतानः–

₹2000/– का भुगतान मैसर्ज सैनी प्रिटिंग प्रैस, नाहन को बिल संख्या 3143 दिनाँक 16.8.13 द्वारा 200 नं0 पहचान पत्रों की आपूर्ति हेतु पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से किया गया। नियमों के अनुसार पुस्तकालय प्रतिभूति निधि एक Refundable निधि है तथा इसे महाविद्यालय छोड़ते समय छात्रों को वापिस भुगतान करना होता है। पुस्तकालय प्रतिभूति से सम्बन्धित राशि को पुस्तकालय हेतु पुस्तकें एवं पुस्तकालय के अन्य विकासात्मक कार्यों हेतु प्रयोग किया जा सकता है अर्थात पहचान पत्रों की आपूर्ति हेतु किया गया। भुगतान इस निधि के खाते पर वैध प्रभार नहीं है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए। अन्यथा अनियमित रूप से भुगतान की गई इस राशि की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके वापिस खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ii) मजदूरी के रूप में पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से ₹9825/– का अनियमित भुगतानः–

जाँच के दौरान पाया गया कि माह 10/13 में पुस्तकालय प्रतिभूति खाते में से निम्नलिखित विवरण के अनुसार कर्मचारियों (दैनिक वेतन भोगी) को वेतन का भुगतान किया गया है।

क्र0सं0	नाम	पद	माह	राशि
1	शाकिव अली	कारपेंटर	10/13	4065
2	लियाकत अली	हेल्पर	10/13	2880
3	मै0 यामीन	हेल्पर	10/13	2880
				9825

उपरोक्त वर्णित व्यय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ordinance के प्रावधानों के अनुसार इस निधि के खाते पर वैध प्रभार नहीं है। अतः इस अनियमित व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर इसे नियमित करवाया जाये अन्यथा ₹9825/– की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके वापिस पुस्तकालय प्रतिभूति खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

जुर्माना निधि

14 (क) अनुपस्थिति दण्ड निधि से ₹5160/– का अनियमित भुगतानः–

₹6000/– की अग्रिम राशि का भुगतान श्रीमती सुनीता गोयल (प्रवक्ता अंग्रेजी) को महाविद्यालय में कबडडी प्रतियोगिता के दौरान अन्य स्थानों (महाविद्यालयों) से आये हुए प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था करने हेतु किया गया। व्यय का विवरण निम्नलिखित है।

क्र0सं0	विवरण	किराया प्रतिदिन	कुल दिन	राशि
1	हॉल–I	750	4 दिन	3000
2	हॉल–II	250	4 दिन	1000
3	5 कमरे	30 प्रति कमरा	4 दिन	600
4	7 कमरे	20 प्रति	4 दिन	560
				5160

उपरोक्त व्यय जुर्माना निधि खाते पर वैध प्रभार नहीं है। अतः व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये अन्यथा उचित माध्यम से राशि की प्रतिपूर्ति करके वापिस खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ख) जुर्माना निधि खाते में से बलेजर इत्यादि की खरीद हेतु किया गया ₹10000/– का अनियमित भुगतानः–

जाँच के दौरान पाया गया कि कि ₹10000/– का भुगतान ब्यूटी कॉरनर, छोटा चौंक, नाहन (हिमाचल प्रदेश) को बिल संख्या शून्य दिनाँक 14.9.2012 द्वारा 4 नं0 बलेजरस की आपूर्ति हेतु किया गया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1972 के उक्त निधि से सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार यह व्यय इस निधि पर वैध प्रभार नहीं है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹10000/– की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके जुर्माना निधि खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

विविध

15 **(क) पुस्तकालय से विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम जारी पुस्तकों को वापिस न करनाः–**

पुस्तकालय से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट "ग"** पर वर्णित सूचि के अनुसार विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम पुस्तकें पुस्तकालय से जारी की गई है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को पुस्तकें जारी की गई है वह अन्य महाविद्यालयों में स्थानान्तरित हो चुके है तथा उनके द्वारा ली गई पुस्तकें वापिस जमा नहीं करवाई गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि इन पुस्तकों को वापिस प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये अन्यथा इन पुस्तकों के बाजार मूल्य की दर से उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ख) स्टोर व स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः–

महाविद्यालय में विभिन्न निधियों के स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है। महाविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा केवल स्टॉक रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर Physically Verified लिखकर

हस्ताक्षर किये गये है, जबकि नियमों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में स्टॉक रजिस्टर पर दर्ज प्रत्येक सामान को भौतिक रूप से गिन कर दर्ज किये गये सामान के पृष्ठ पर पृथक–2 रूप से हस्ताक्षर करके अन्त में प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्येक वस्तु की मात्रा को प्रतिहस्क्षरित किया जाना अपेक्षित था। अतः नियमों के अन्तर्गत सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा स्टोर एवं स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापना प्रतिवर्ष नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 **लघु आपति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

17 **निष्कर्षः–** लेखाओं के उचित अनुरक्षण में और सुधार की आवश्यकता है। सुधार के साथ–2 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में वर्षों से लम्बित पड़े अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)सी(15)xi (x) 6/83–551–554 दिनांक,29.1.15 शिमला–171009

पंजीकृत प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधानाचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को शीध्र भेजे।
2. निदेशक, शिक्षा विभाग हि0प्र0 शिमला–171001
3. सचिव शिक्षा हि0प्र0 शिमला–9
4. श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा........

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की स्थिति

परिशिष्ट "i" — **पैरा संख्या 1 में सन्दर्भित**

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेंदन अवधि 4/76 से 3/83

1	पैरा–4 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (सी) (1)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (सी) (2)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (डी)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (ई)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (एफ)	अनिर्णीत
8	पैरा–4(के)(1से 4)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (एल) (1)	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (एल) (2)	अनिर्णीत
11	पैरा–4 (एल) (3)	अनिर्णीत
12	पैरा–4 (एम)	अनिर्णीत
13	पैरा–4 (एन)	अनिर्णीत
14	पैरा–4 (ओ)	अनिर्णीत
15	पैरा–4 (पी)	अनिर्णीत
16	पैरा–4 (टी)	अनिर्णीत
17	पैरा–4 (यू) (1)	अनिर्णीत
18	पैरा–4 (वाई)	अनिर्णीत
19	पैरा–4 (जैड) (1 से 4)	अनिर्णीत
20	पैरा–4 (ए0ए0)(5)	अनिर्णीत
21	पैरा–4 (ए0ए0)(6)	अनिर्णीत
22	पैरा–4 (बी0बी0)(2)	अनिर्णीत
23	पैरा–4 (बी0बी0)(4)	अनिर्णीत

24	पैरा—4 (सी0सी0)(4)	अनिर्णीत
25	पैरा—4 (एफ0एफ0)(1 व 2)	अनिर्णीत
26	पैरा—4 (जी0जी0)	अनिर्णीत
27	पैरा—5 (ए)	अनिर्णीत
28	पैरा—8 (1)	अनिर्णीत
29	पैरा—8 (ए)	अनिर्णीत
30	पैरा—8 (बी)	अनिर्णीत
31	पैरा—8 (सी)	अनिर्णीत
32	पैरा—10	अनिर्णीत
33	पैरा—11	अनिर्णीत
34	पैरा—12 (ए)	अनिर्णीत

विविध

35	पैरा—(वी)	अनिर्णीत
36	पैरा—(डी)	अनिर्णीत
37	पैरा—13	अनिर्णीत
38	पैरा—13 (ए) (1 व 2)	अनिर्णीत
39	पैरा—13 (2) (2)(1)	अनिर्णीत
40	पैरा—13 (2) (2)(3)	अनिर्णीत
41	पैरा—13 (2) (3) (1) (2)	अनिर्णीत
42	पैरा—13 (2) (4)	अनिर्णीत
43	पैरा—13 (2) (5)(बी)	अनिर्णीत
44	पैरा—13 (2) 5 (सी) (1)	अनिर्णीत
45	पैरा—13 (2) 5 (सी) (2)	अनिर्णीत
46	पैरा—13 (2) 5 (सी) (3)	अनिर्णीत
47	पैरा—13 (डी) (1 से 7)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एव् निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/84

1	पैरा–4 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (सी)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (बी) (1 से 5)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत
6	पैरा–6 (3)	अनिर्णीत
7	पैरा–6 (4)	अनिर्णीत
8	पैरा–6 (7)	अनिर्णीत
9	पैरा–6 (8) (9)	अनिर्णीत
10	पैरा–6 (10)	अनिर्णीत
11	पैरा–8 (2) (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा–8 (2) (सी)	अनिर्णीत
13	पैरा–8 (2) (डी)	अनिर्णीत
14	पैरा–8 (3) (ए)	अनिर्णीत
15	पैरा–8 (3) (बी)	अनिर्णीत
16	पैरा–8 (4) (बी)	अनिर्णीत
17	पैरा–8 (4) (सी, डी)	अनिर्णीत
18	पैरा–8 (4) (ई)	अनिर्णीत
19	पैरा–9 (ए)	अनिर्णीत
20	पैरा–9 (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा–9 (सी)	अनिर्णीत
22	पैरा–9 (डी)	अनिर्णीत
23	पैरा–9 (ई)	अनिर्णीत
24	पैरा–9 (एफ)	अनिर्णीत
25	पैरा–9 (जी)	अनिर्णीत
26	पैरा–9 (एच)	अनिर्णीत
27	पैरा–9 (आई)	अनिर्णीत
28	पैरा–9 (जे)	अनिर्णीत

29	पैरा–9 (के)	अनिर्णीत
30	पैरा–9 (एल)	अनिर्णीत
31	पैरा–9 (एम)	अनिर्णीत
32	पैरा–9 (एन)	अनिर्णीत
33	पैरा–9 (ओ)	अनिर्णीत
34	पैरा–9 (पी)	अनिर्णीत
35	पैरा–9 (एस)	अनिर्णीत
36	पैरा–9 (टी)	अनिर्णीत
37	पैरा–9 (यू) (3), (4)	अनिर्णीत
38	पैरा–9 (वी)	अनिर्णीत
39	पैरा–9 (डब्लयू)	अनिर्णीत
40	पैरा–9 (ए0ए0) 1 से 5	अनिर्णीत
41	पैरा–9 (बी0बी0)	अनिर्णीत
42	पैरा–9 (सी0सी0)	अनिर्णीत
43	पैरा–9 (डी0डी0)	अनिर्णीत
44	पैरा–9 (ई0ई0) (1)	अनिर्णीत
45	पैरा–9 (ई0ई0) (2)	अनिर्णीत
46	पैरा–9 (ई0ई0) (3)	अनिर्णीत
47	पैरा–9 (एफ0एफ0) (1, 2, 3)	अनिर्णीत
48	पैरा–9 (जी0जी0) (1, 2, 3)	अनिर्णीत
49	पैरा–9 (एच0एच0)	अनिर्णीत
50	पैरा–9 (जे0जे0)	अनिर्णीत
51	पैरा–9 (एल0एल0) 1 से 8	अनिर्णीत
52	पैरा–9 (एम0एम0) (1)	अनिर्णीत
53	पैरा–9 (एम0एम0) (2)	अनिर्णीत
54	पैरा–9 (एम0एम0) (3)	अनिर्णीत
55	पैरा–9 (ओ0ओ0)	अनिर्णीत
56	पैरा–9 (क्यू0क्यू0)	अंशतः निर्णीत
57	पैरा–9 (यू0यू0)	अनिर्णीत

58	पैरा–9 (डब्लयू0डब्लयू)	अनिर्णीत	
59	पैरा–9 (ए0ए0ए0)	अनिर्णीत	
60	पैरा–9 (सी0सी0सी0)	अनिर्णीत	
61	पैरा–10 (ए से एच)	अनिर्णीत	
62	पैरा–12	अनिर्णीत	
63	पैरा–15 (ए)	अनिर्णीत	
64	पैरा–15 (ई)	अनिर्णीत	
65	पैरा–15 (एफ)	अनिर्णीत	
66	पैरा–15 (एच)	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/94

1	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत	
2	पैरा–6 (च)	अनिर्णीत	
3	पैरा–6 (छ) (2)	अनिर्णीत	
4	पैरा–7	अनिर्णीत	
5	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	
6	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा–9 (च)	निर्णीत	(की गई कार्यवाहीनुसार)
8	पैरा–9 (ज)	अनिर्णीत	
9	पैरा–9 (ठ) (1)	अनिर्णीत	
10	पैरा–9 (ठ) (2)	अनिर्णीत	
11	पैरा–9 (ठ) (4)	अनिर्णीत	
12	पैरा–9 (ठ) (5)	अनिर्णीत	
13	पैरा–9 (त)	अनिर्णीत	
14	पैरा–9 (द)	निर्णीत	(₹42/– दिनाँक 4.9.14 को जमा करवाये गये)
15	पैरा–9 (ध)	अनिर्णीत	
16	पैरा–9 (न)	अनिर्णीत	
17	पैरा–9 (प)	अनिर्णीत	

18	पैरा–9 (फ)	अनिर्णीत	
19	पैरा–9 (ब)	अनिर्णीत	
20	पैरा–9 (भ) (1)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
21	पैरा–9 (भ) (2)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
22	पैरा–9 (भ) (3)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
23	पैरा–9 (भ) (4)	निर्णीत	(₹79 दिनाँक 4.9.14 को जमा करवाये गये)
24	पैरा–9 (म) (1)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
25	पैरा–9 (म) (2)	निर्णीत	(₹416 दिनाँक 4.9.14 को जमा करवाया गया)
26	पैरा–9 (र)	अनिर्णीत	
27	पैरा–9 (ल) (1)	अनिर्णीत	
28	पैरा–9 (ल) (1)(1)	अनिर्णीत	
29	पैरा–9 (ल) (1)(2)	अनिर्णीत	
30	पैरा–9 (ल) (1)(3)	अनिर्णीत	
31	पैरा–9 (व) (1)	अनिर्णीत	
32	पैरा–9 (व) (2)	अनिर्णीत	
33	पैरा–9 (ष) (1)	अनिर्णीत	
34	पैरा–9 (ह)	अनिर्णीत	
35	पैरा–9 (ज्ञ) (1) (2) (3)	अनिर्णीत	
36	पैरा–9 (ज्ञ) (1)	अनिर्णीत	
37	पैरा–9 (ज्ञ) (5) (2)	अनिर्णीत	
38	पैरा–9 (ज्ञ) (5) (4)	अनिर्णीत	
39	पैरा–9 (ज्ञ) (5) (5)	अनिर्णीत	
40	पैरा–9 (ज्ञ) (7) (2)	निर्णीत	(₹30 दिनाँक 4.9.14 को जमा करवाये)
41	पैरा–10	अनिर्णीत	
42	पैरा–11 (1)	अनिर्णीत	
43	पैरा–11 (2)	निर्णीत	(₹3 दिनाँक 16.7.09 को जमा करवाये गये)
44	पैरा–11 (3)	अनिर्णीत	

45	पैरा–12	निर्णीत	(₹45 दिनाँक 4.9.14 को जमा करवाये)
46	पैरा–13	अनिर्णीत	
47	पैरा–14 (1)	निर्णीत	(₹25 दिनाँक 4.9.14 को जमा करवाये)
48	पैरा–14 (2)	निर्णीत	(₹8.50 दिनाँक 4.9.14 को जमा करवाये)
49	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत	
50	पैरा–14 (3)(1)	अनिर्णीत	
51	पैरा–14 (3) (4)	अनिर्णीत	
52	पैरा–14 (3) (5)	अनिर्णीत	
53	पैरा–14 (3) (6)	अनिर्णीत	
54	पैरा–14 (3) (7)	निर्णीत	(₹5 दिनाँक 16.7.09 को जमा करवाये)
55	पैरा–15 (क) (1 से 6)	अनिर्णीत	
56	पैरा–15 (ख)	निर्णीत	(₹264 दिनाँक 4.9.14 को जमा करवाये)
57	पैरा–15 (ग)	अनिर्णीत	
58	पैरा–15 (घ)	अनिर्णीत	
59	पैरा–15 (ङ)	निर्णीत	(₹3 दिनाँक 16.7.09 को जमा करवाये)
60	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत	
61	पैरा–17	अनिर्णीत	
62	पैरा–18 (क)	अनिर्णीत	
63	पैरा–18 (ग)	निर्णीत	(₹247/– दिनाँक 4.9.14 को जमा करवाये)
64	पैरा–18 (घ)	निर्णीत	(₹10 दिनाँक 16.7.09 को जमा करवाये)
65	पैरा–18 (च)	अनिर्णीत	
66	पैरा–18 (ञ) (3)	अनिर्णीत	
67	पैरा–18 (ट)	अनिर्णीत	
68	पैरा–20	अनिर्णीत	
69	पैरा–21 (ख)	अनिर्णीत	
70	पैरा–21 (ग) (2)	अनिर्णीत	
71	पैरा–21 (घ)	अनिर्णीत	

भाग–III

72	पैरा–22	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण एवं् निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/2012

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क जमा करवा दिया है)
2	पैरा–5	निर्णीत	(पैरे को वर्तमान अंकेक्षण में दिखाया गया है)
3	पैरा–6	अनिर्णीत	
4	पैरा–7 (क) (i)	अनिर्णीत	
5	पैरा–7 (क) (ii)	अनिर्णीत	
6	पैरा–7 (क) (iii)	अनिर्णीत	
7	पैरा–7 (क) (iv)	अनिर्णीत	
8	पैरा–7 (क) (v)	अनिर्णीत	
9	पैरा–7 (क) (vi)	अनिर्णीत	
10	पैरा–7 (क) (vii)	अनिर्णीत	
11	पैरा–7 (क) (viii)	अनिर्णीत	
12	पैरा–7 (क) (ix)	अनिर्णीत	
13	पैरा–7 (क) (x)	अनिर्णीत	
14	पैरा–7 (क) (xi)	अनिर्णीत	
15	पैरा–7 (क) (xii)	अनिर्णीत	
16	पैरा–7 (क) (xiii)	अनिर्णीत	
17	पैरा–7 (ख) (i)	अनिर्णीत	
18	पैरा–7 (ख) (ii)	अनिर्णीत	
19	पैरा–7 (ख) (iii)	अनिर्णीत	
20	पैरा–7 (ख) (iv)	अनिर्णीत	
21	पैरा–7 (ख) (v)	अनिर्णीत	
22	पैरा–7 (ख) (vi)	अनिर्णीत	
23	पैरा–7 (ख) (vii)	अनिर्णीत	
24	पैरा–7 (ख) (viii)	अनिर्णीत	

25	पैरा–7 (ख) (ix)	अनिर्णीत
26	पैरा–7 (ग) (i)	अनिर्णीत
27	पैरा–7 (ग) (ii)	अनिर्णीत
28	पैरा–7 (घ) (i)	अनिर्णीत
29	पैरा–7 (घ) (ii)	अनिर्णीत
30	पैरा–7 (ङ) (i)	अनिर्णीत
31	पैरा–7 (च) (i)	अनिर्णीत
32	पैरा–7 (छ) (i)	अनिर्णीत
33	पैरा–7 (छ) (ii)	अनिर्णीत
34	पैरा–7 (छ) (iii)	अनिर्णीत
35	पैरा–7 (छ) (iv)	अनिर्णीत
36	पैरा–7 (छ) (v)	अनिर्णीत
37	पैरा–7 (छ) (vi)	अनिर्णीत
38	पैरा–7 (ज) (i)	अनिर्णीत
39	पैरा–7 (ज) (ii)	अनिर्णीत
40	पैरा–7 (झ)	अनिर्णीत
41	पैरा–7 (ञ) (i से iv)	अनिर्णीत
42	पैरा–8 (क) (i से iv)	अनिर्णीत
43	पैरा–8 (ख) (i)	अनिर्णीत
44	पैरा–8 (ख) (ii)	अनिर्णीत
45	पैरा–8 (ख) (iii)	अनिर्णीत
46	पैरा–8 (ख) (iv)	अनिर्णीत
47	पैरा–8 (ख) (v)	अनिर्णीत
48	पैरा–8 (ख) (vi)	अनिर्णीत
49	पैरा–8 (ख) (vii)	अनिर्णीत
50	पैरा–8 (ख) (viii)	अनिर्णीत
51	पैरा–8 (ख) (ix)	अनिर्णीत
52	पैरा–8 (ग)	अनिर्णीत
53	पैरा–8 (घ)	अनिर्णीत

54	पैरा–8 (ङ) (i से ii)	अनिर्णीत	
55	पैरा–8 (च) (I, II)	अनिर्णीत	
56	पैरा–8 (छ)	अनिर्णीत	
57	पैरा–8 (ज)	अनिर्णीत	
58	पैरा–8 (झ)	अनिर्णीत	
59	पैरा–8 (ञ) (i)	अनिर्णीत	
60	पैरा–8 (ञ) (ii)	अनिर्णीत	
61	पैरा–8 (ञ) (iii)	अनिर्णीत	
62	पैरा–8 (ञ) (iv)	अनिर्णीत	
63	पैरा–8 (ञ) (v)	अनिर्णीत	
64	पैरा–8 (ञ) (vi)	अनिर्णीत	
65	पैरा–8 (ञ) (vii)	अनिर्णीत	
66	पैरा–8 (ञ) (viii)	अनिर्णीत	
67	पैरा–8 (ञ) (ix)	अनिर्णीत	
68	पैरा–8 (ञ) (x)	अनिर्णीत	
69	पैरा–8 (ञ) (xi)	अनिर्णीत	
70	पैरा–9	अनिर्णीत	
71	पैरा–10	निर्णीत	(₹270 दिनाँक 4.9.14 को जमा करवाये गये)
72	पैरा–11	अनिर्णीत	
73	पैरा–12	अनिर्णीत	
74	पैरा–13	निर्णीत	(₹100 दण्ड ब्याज की राशि दिनाँक 4.9.14 को जमा करवाई गई)
75	पैरा–14	अनिर्णीत	
76	पैरा–15	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
77	पैरा–16	अनिर्णीत	
78	पैरा–17	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
79	पैरा–18	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
80	पैरा–19 (क)	अनिर्णीत	
81	पैरा–19 (ख)	अनिर्णीत	

82	पैरा–19 (ग)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
83	पैरा–19 (घ)	अनिर्णीत	
84	पैरा–19 (ङ)	अनिर्णीत	
85	पैरा–19 (च)	अनिर्णीत	
86	पैरा–19 (छ)	निर्णीत	(₹154 दिनाँक 4.9.14 को जमा करवाये गये)
87	पैरा–19 (ज)	अनिर्णीत	
88	पैरा–19 (झ)	अनिर्णीत	
89	पैरा–19 (ञ)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
90	पैरा–19 (ट)	अनिर्णीत	
91	पैरा–19 (ठ)	अनिर्णीत	
92	पैरा–19 (ड)	अनिर्णीत	
93	पैरा–19 (ढ)	अनिर्णीत	
94	पैरा–20 (क)	अनिर्णीत	
95	पैरा–20 (ख)	अनिर्णीत	
96	पैरा–21 (i)	अनिर्णीत	
97	पैरा–21 (ii)	अनिर्णीत	
98	पैरा–21 (iii)	अनिर्णीत	
99	पैरा–21 (iv)	अनिर्णीत	
100	पैरा–21 (v)	अनिर्णीत	
101	पैरा–22	अनिर्णीत	
102	पैरा–23	अनिर्णीत	
103	पैरा–24	अनिर्णीत	
104	पैरा–25	अनिर्णीत	
105	पैरा–26 (क)	अनिर्णीत	
106	पैरा–26 (ख)	अनिर्णीत	
107	पैरा–27	अनिर्णीत	